



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 अगस्त, 2021

श्रावण 20, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1566/9-1-2021-19सा-13

लखनऊ, 11 अगस्त, 2021

### शुद्धि-पत्र

प0आ0-280

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 56 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन निकाय के सदस्य/पार्षद के पदों की सूची को रिक्त घोषित किये जाने संबंधी शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 814/9-1-2021-19सा0-13 दिनांक 31 मई, 2021 निर्गत किया गया था। उक्त अधिसूचना के सूची क्रमांक 13 पर अंकित वार्ड संख्या लिपिकीय त्रुटिवश "48" के स्थान पर "58" अंकित हो गया है, जिसके कारण उपचुनाव कराये जाने में दुविधा हो रही है।

2-अतः अधिसूचना संख्या 814/9-1-2021-19सा0-13, दिनांक 31 मई, 2021 की सूची के क्रमांक 13 पर अंकित वार्ड संख्या "58" के स्थान पर "48" को पढ़ा/समझा जाय। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.05.2021 की शेष बातें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,  
संजय कुमार सिंह यादव,  
विशेष सचिव।